प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या– ——/III(1)/20–04(96)रि0या0/18

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,
23, लक्ष्मी रोड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक 20 फरवरी, 2020

विषय : लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुये पेन्शन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग की सहमति से जारी किये गये लोक निर्माण विभाग के आदेश संख्या–372/III(1)/20–04(54)रि0या0/15, दिनांक 04.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकन की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः छाया प्रति प्रेषित की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–4371/2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के मुख्य अंश निम्नवत हैं:–

"In view of reading down Rule 3 (8) of the U.P. Retirement Benefits Rules, 1961, we hold that services rendered in the work-charged establishment shall be treated as qualifying service under the aforesaid rule for grant of pension. The arrears of pension shall be confined to three years only before the date of the order. Let the admissible benefits be paid accordingly within three months. Resultantly, the appeals filed by the employees are allowed and filed by the State are dismissed".

2– मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 02.09.2019 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुए पेन्शन आदि का लाभ उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं समय समय पर जारी संगत शासनादेशों/नियमों के प्राविधानानुसार अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3– चूँकि प्रश्नगत प्रकरण पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भुगतान किये जाने हेतु एक समय–सीमा निर्धारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में राज्य द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष समयवृद्धि दिये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य बनाम रमेश सिंह डायरी संख्या–6508/2020 विशेष याचिका दाखिल की गयी है।

4– मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2019 का अनुपालन किये जाने हेतु विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के द्वारा इस आशय के आदेश पारित किये गये हैं कि वादियों को कोषागार के माध्यम से भुगतान के उपरान्त अनुपालन शपथ–पत्र मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया जाय। अवमाननावादों में दिनांक 03.03.2020 को वादियों को भुगतान की गयी धनराशि के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से अवगत कराते हुये शपथ–पत्र दाखिल किया जाना है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लोक निर्माण विभाग के कार्मिकों/कर्मचारियों के पेन्शन प्रकरण सम्बन्धित खण्ड के द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने पर पेन्शन तत्काल स्वीकृत किये जाने हेतु आप भी अपने स्तर से समस्त कोषाधिकारियों को इस सम्बन्ध में यथा-निर्देश जारी करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 458 /III(1)/20-04(96)लो0नि0/18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग - देहरादून

पृ0प0 सं0 . 118 / 23 का0प्र0-अधि0/2020 दि0 25/02/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में तत्काल निदेशक [illegible] देहरादून / सम्बन्धित कोषागारों से सम्पर्क कर प्रकरणों का निस्तारण करें।

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 - - - - - -
2. समस्त अधीक्षण अभियंता - - - - - - लो0नि0वि0 - - - - -
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रा0खं0/अ0खं0/रा0मा0/वि0यां0/पी0एम0जी0एस0वाई0/[illegible] लो0नि0वि0 - - - - - -
4. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करते हुए समस्त अधिशासी / अधीक्षण / मुख्य अभियन्ताओं को Mail भी करना सुनिश्चित करें।

IT Cell

29.02.20
चन्दन सिंह नेगी
अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी [illegible]
कार्यालय प्रमुख अभि0
लोक निर्माण विभाग, देहरादून